

न्यायालय: वरुण कुमार शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद,
जिला भिण्ड

प्रकरण क्रमांक 123/2018 समरी

शासन पुलिस मौं, जिला भिण्ड

विरुद्ध

गोलू शिवहरे पुत्र कैलाश नारायण, उम्र 21 वर्ष,
निवासी वार्ड नं.12, कस्बा मौं, थाना मौं, जिला भिण्ड, म.प्र.

नि र्ण य

(आज दिनांक—12.06.2018 को घोषित)

- 1— अभियुक्त राजकुमार यादव की स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(ए) के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
- 2— अभियुक्त के द्वारा किए गए अपराध से सामाजिक कुरीति को बढ़ावा मिलता है। प्रकरण की परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त को परिवीक्षा पर उन्मुक्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।
- 3— प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(ए) के अंतर्गत न्यायालय उठने तक के कारावास और 500/— रुपये अंकन पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर व्यतिक्रम किए जाने पर अभियुक्त को 10 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जाये।
- 4— प्रकरण में जप्तशुदा मदिरा नष्ट की जाए।

वरुण कुमार शर्मा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)